फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी [illegible]

[illegible] लाल बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या/वर्ष : 09/2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपील पक्ष उपस्थित। वकील अपील पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/5/19 को पेश हो।
	20/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपील पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज एवं अन्य प्रलेखों का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.का.अधि. स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से दर्ज हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
09/2019	08/02/2019	20.05.2024

चिरंजीलाल पुत्र गौरीसहाय
प्रेम पुत्री गौरीसहाय
मुन्नी देवी पुत्री गौरीसहाय
नारायण पुत्र भैरूलाल
घनश्याम पुत्र भैरूलाल
जगदीश पुत्र भैरूलाल
रतनलाल पुत्र भैरूलाल
नारंगी पत्नि भैरूलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

पोखर पुत्र भूरा
प्रहलाद पुत्र भूरा
बाबूलाल पुत्र भूरा
कैलाश पुत्र भूरा
राकेश पुत्र भूरा
रामचन्द्र पुत्र भूरा
पुष्पा देवी पत्नि अर्जुन
हरिनारायण पुत्र अर्जुन
कमलेश पुत्र अर्जुन
रेखा पुत्री अर्जुन नाबालिक जरिये माता पुष्पा देवी
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
दुर्गाप्रसाद पुत्र भगवान सहाय
महेन्द्र कुमार पुत्र भगवान सहाय
मुकेश पुत्र बनवारी
मनोज पुत्र बनवारी
द्वारकाप्रसाद पुत्र भैरूबक्स
पवन कुमार पुत्र गैन्दालाल
पंकज कुमार पुत्र गैन्दालाल
मखनलाल पुत्र सीताराम
कैलाश पुत्र सीताराम
रतनलाल पुत्र सीताराम
मातादीन पुत्र भगवान सहाय
समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. अर्जुनलाल पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. कैलाश पुत्र प्रभातराम जाति जाट, निवासी ग्राम शाहपुरा तनिया की ढाणी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

2/3

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थीगण।
श्री रमाशंकर शर्मा – अप्रार्थीगण।
पैराकार सरकार – उपस्थित।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मुकदमा नं0 127/2017 उनवन चिरंजीलाल वगै0 बनाम पोखर वगै0 में प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 1.28है0 ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 460 के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3.49है0 अप्रार्थी सं0 1 से 10 की खातेदारी भूमि है एवं भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 0.38है0 अप्रार्थी सं0 11 से 23 की खातेदारी भूमि है। हाल ही हुये सैटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नम्बर 399, 460, 457 का राजस्व नक्शें की सीमाएं गलत अंकित कर त्रुटिपूर्ण नक्शा बना दिया गया है। अप्रार्थी सं0 1 से 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 399 की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 399 की सीमा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 460 में करीब 10 मीटर अन्दर तक दर्शा दी गयी है जिससे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 460 का रकबा नक्शें में करीब 0.13है0 कम हो गया है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 से 10 के मध्य सीमा विवाद उत्पन्न हो गया एवं वर्तमान त्रुटिपूर्ण नक्शें का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं0 1 से 10 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर मकान बनाकर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण वर्तमान त्रुटिपूर्ण नक्शें को दुरूस्त भी नही कराना चाहते है। अप्रार्थी सख्या 11 से 23 की भूमि खसरा नम्बर 457 का नक्शा भी गलत दर्शाते हुये कुआ खसरा नम्बर 456 से लगता दर्शा दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 457 पूर्व नक्शें अनुसार कुए खसरा नम्बर 456 से दूर है। पूर्व नक्शें अनुसार ही पक्षकारान का कब्जा काश्त है परन्तु वर्तमान नक्शें से पक्षकारान में विवाद उत्पन्न हो गये है। अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 399, 460, 457 स्थित ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ का वर्तमान त्रुटिपूर्ण नक्शा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 460 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 399 से लगती सीमा रेखा को एवं खसरा नम्बर 457 को पूर्वानुसार दुरूस्त किया जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान की सुनवाई करते हुये न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.18 को न्याय आपके क्षर कैम्प बोबाडी में निर्णय आदेश सुनाया गया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 299 के हाल खसरा नम्बर 456 वाकै ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ के पूर्व नक्शें के अनुसार तहसीलदार जमवारामगढ को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जिस पर अप्रार्थीगणो ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3.49है0 का नक्शा उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2018 द्वारा पूर्णतः प्रभावित हुआ है अपीलार्थीगण उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 399 पर काबिज काश्त है, रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्यों को छितापे हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने बिना किसी जॉच एवं पत्रावली के अवलोकन करे बिना ही सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नही देकर बिना अपीलार्थीगण की मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्तनीय है। प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 09.10.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभय पक्ष को प्रकरण से संबंधित भू प्रबंध विभाग के पुराने रिकार्ड की प्रतिलिपियॉ, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज़ात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुणों के आधार पर निर्णय पारित करें।

3/3

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्देशानुसार प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर सुनवाई हेतु पक्षकारान को तलबी जारी की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक व अप्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना चाहा।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षो की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब जो पत्रावली में पूर्व से शामिल है का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट कों स्वीकारं करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक जवाब तहसीलदार के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बोबाडी, पटवार मण्डल बोबाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 299 के हाल खसरा नम्बर 456 के पूर्व नक्शें अनुसार तरमीम दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़